पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

CIRCULAR

PFRDA/2026/52/REG-PF/12 **2nd Nov 2026**

To:

All NPS Stakeholders

Subject: Amendment to the Circular on the Standardised Framework for Classification and Presentation of Schemes under the NPS

In partial modification of Circular No. PFRDA/2026/47/REG-PF/10 dated 28 August 2026, the following amendments and clarifications are hereby issued.

1. Amendment to Clauses 3.1 to 3.3 – Naming Convention for MSF Schemes

The naming convention for MSF schemes shall be as follows:

Component	Description	Illustration
Pension Fund Abbreviation	Abbreviation of the name of the Pension Fund	XYZ
NPS	Common identifier "NPS"	NPS
Unique Scheme Name	Name of the scheme, as determined by the Pension Fund in accordance with the applicable framework. The name should be simple, distinctive and easy to recall.	Name of the Scheme by PF
Tier II Suffix	For Tier II schemes, the words "Tier II" shall be added at the end of the scheme name. Tier I is the default offering and need not be specifically mentioned.	Tier II

Illustrative Examples

Abbreviation of Pension Fund Name + "NPS" + Unique Scheme Name

Scheme Type	Illustrative Scheme Name
Tier I Scheme	XYZ NPS Name of the Scheme
Tier II Scheme	XYZ NPS Name of the Scheme Tier II
Two schemes in the same category	XYZ NPS Name of Scheme (Different from the 1st Name)

The category code (A to E) shall not form part of the scheme name. Where a Pension Fund offers more than one scheme within the same category, each scheme shall have a distinct Scheme Name.

In all media, public facing literature and advertising material, the MSF scheme name shall be accompanied by the full applicable Scheme Category/ Growth category, displayed in a smaller font immediately below or next to the Unique Scheme Name.

Illustration for media/advertising/ Awareness/ Outreach:

XYZ NPS Retirement Scheme

Aggressive Growth – Very High Risk

The full applicable Scheme Category/Growth Category shall also be clearly mentioned in the NPS Scheme Essentials Document and in the scheme brochure as applicable. This ensures that media awareness material communicates the scheme's growth/risk category without making the scheme name lengthy or difficult to recall.

2. Amendment to Clause 4.2 – Display of Schemes on PoP Platforms

Clause 4.2 shall be substituted with the following:

"Platforms owned and operated by Pension Fund that also hold licence to operate as a Point of Presence (PoP) are permitted to display only the schemes offered by that Pension Fund where the subscriber has specifically chosen to access the Pension Fund's own website or application and the onboarding journey is operated by that Pension Fund.

Any other PoP operating its own platform shall display the schemes of all Pension Funds within the category selected by the subscriber, in accordance with the standardised navigation and scheme-selection framework. Such PoP may place the schemes of a particular Pension Fund at the top and pre-select a particular scheme, while continuing to display the schemes of all Pension Funds within the selected category.

The standardised navigation journey on NPS Central and CRA platforms, including any interim redirection journey, shall display schemes of all Pension Funds within the category selected by the subscriber, enabling the subscriber to make the final choice from the available schemes.

Star NPS platform used by PFs can display their schemes to the Pension Agents appointed by them.

Illustrations for navigation and display:

- A subscriber selects "Balanced Growth – Medium Risk". The screen should display the schemes offered by all Pension Funds in that category, along with prescribed information, so the subscriber can compare and select a scheme.
- **PoP's own platform:** A PoP may place one Pension Fund's schemes at the top and pre-select a particular scheme, but it must continue to display schemes of all Pension Funds within the subscriber-selected category.
- **Pension Fund's own website/app:** Where the subscriber specifically chooses a Pension Fund's own website or application and the Pension Fund operates that onboarding journey, the platform may display only that Pension Fund's schemes.

The subscriber-facing navigation shall first capture the subscriber's choice of scheme type/category or risk appetite, as applicable, and then display schemes corresponding to that selection. The category need not be repeated as a separate scheme-name element where the screen already reflects the category selected by the subscriber.

3. The provisions of the aforementioned Circular dated 28th Aug 2026 shall be implemented by all intermediaries by **1st December 2026.** CRAs, Pension Funds and PoPs shall, within this timeline, make necessary changes to scheme names, brochures, NPS Scheme Essentials Documents, media and advertising material, websites, applications and subscriber onboarding journeys.

This Circular is issued in exercise of the powers conferred upon the Authority under Section 14(1), read with Section 14(2)(a), of the PFRDA Act, 2013, and the applicable provisions of the PFRDA (Pension Fund) Regulations, 2015, including Regulation 22(1).

Yours sincerely

(Chief General Manager)

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

परिपत्र

परिपत्र सं. पीएफआरडीए/2026/52/आरईजी-पीएफ/12 **दिनांक: 2 नवम्बर 2026**

सेवा में:

सभी एनपीएस हितधारक

विषय: एनपीएस के अंतर्गत योजनाओं के वर्गीकरण और प्रस्तुतिकरण हेतु मानकीकृत कार्यढांचे संबंधी परिपत्र में संशोधन

दिनांक 28 अगस्त 2026 के परिपत्र संख्या पीएफआरडीए/2026/47/आरईजी-पीएफ/10 में आंशिक परिवर्तन करते हुए निम्नलिखित संशोधन और स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं।

1. **खंड 3.1 से 3.3 में संशोधन - एमएसएफ योजनाओं की नामकरण रीति**

एमएसएफ योजनाओं से संबंधित नामकरण रीति निम्नानुसार होगी:

घटक	विवरण	उदाहरण
पेंशन निधि संक्षिप्त नाम	पेंशन निधि के नाम का संक्षिप्तीकरण	XYZ
एनपीएस	सामान्य पहचानकर्ता "एनपीएस"	NPS
अनूठी योजना का नाम	लागू कार्यढांचे के अनुसार पेंशन निधि द्वारा यथानिर्धारित पेंशन योजना का नाम। नाम सरल, विशिष्ट और याद रखने में आसान होना चाहिए।	पेंशन निधि द्वारा योजना का नाम
टीयर II प्रत्यय	टियर II योजनाओं के संबंध में, योजना के नाम के अंत में "टियर II" शब्द जोड़े जाएंगे। टीयर I डिफ़ॉल्ट प्रस्ताव है और इसका विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।	टीयर II

दृष्टांत उदाहरण

पेंशन निधि के नाम का संक्षिप्त नाम + "एनपीएस" + विशिष्ट योजना का नाम

योजना का प्रकार	उदाहरण योजना का नाम
टीयर I योजना	XYZ NPS योजना का नाम
टीयर II योजना	XYZ NPS योजना का नाम टियर II
एक ही श्रेणी की दो योजनाएं	XYZ NPS योजना का नाम (1 नाम से अलग)

श्रेणी कोड (ए से ई) योजना के नाम का हिस्सा नहीं होगा। जहां एक पेंशन निधि एक ही श्रेणी के अंतर्गत एक से अधिक योजनाएं प्रदान करता है, प्रत्येक योजना का एक पृथक योजना नाम होगा।

सभी मीडिया, सार्वजनिक रूप से प्रकट किये जाने वाले साहित्य और विज्ञापन सामग्री में, एमएसएफ योजना के नाम के साथ पूर्ण लागू योजना श्रेणी/विकास श्रेणी होगी, जिसे विशिष्ट योजना के नाम के ठीक नीचे या बगल में एक छोटे फ़ॉन्ट में प्रदर्शित होगा।

मीडिया/विज्ञापन/जागरूकता/आउटरीच हेतु दृष्टांत:

XYZ NPS सेवानिवृत्ति योजना

तीव्र वृद्धि - उच्च जोखिम

पूर्ण लागू योजना श्रेणी/विकास श्रेणी का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख एनपीएस योजना अनिवार्य दस्तावेज और योजना विवरणिका में किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाता है कि मीडिया जागरूकता सामग्री में योजना के नाम को लंबा या याद रखने में मुश्किल बनाए बिना, योजना की वृद्धि/जोखिम श्रेणी के बारे में बताया जाए।

2. खंड 4.2 में संशोधन - पीओपी प्लेटफार्मों पर योजनाओं का प्रदर्शन

खंड 4.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"पेंशन निधि जिनके पास उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) के रूप में काम करने का लाइसेंस भी है, जहां अभिदाता ने विशेष रूप से पेंशन निधि की स्वयं की वेबसाइट या एप्लिकेशन तक पहुंच के विकल्प का चयन किया है और शामिल करने की प्रक्रिया उस पेंशन निधि द्वारा संचालित की जाती है उसके स्वामित्व और संचालित प्लेटफॉर्म पर, उन्हें केवल उस पेंशन निधि द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं को प्रदर्शित करने की अनुमति है।

अपने स्वयं के प्लेटफॉर्म का संचालन करने वाला कोई भी अन्य पीओपी मानकीकृत नेविगेशन और योजना-चयन ढांचे के अनुसार, अभिदाता द्वारा चयनित श्रेणी के अंतर्गत सभी पेंशन निधि की योजनाओं को प्रदर्शित करेगा। ऐसा पीओपी चयनित श्रेणी के भीतर सभी पेंशन फंडों की योजनाओं को प्रदर्शित करते हुए किसी विशेष पेंशन निधि की योजनाओं को शीर्ष पर रख सकता है और किसी विशेष योजना का पूर्व-चयन कर सकता है।

एनपीएस सेंट्रल और सीआरए प्लेटफॉर्म पर मानकीकृत नेविगेशन यात्रा, जिसमें कोई भी अंतरिम पुनर्निर्देशन यात्रा शामिल है, अभिदाता द्वारा चयनित श्रेणी के अंतर्गत सभी पेंशन निधि की योजनाओं

को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे अभिदाता उपलब्ध योजनाओं में से अंतिम विकल्प का चयन कर सकेगा।

पेंशन निधियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला स्टार एनपीएस प्लेटफॉर्म उनके द्वारा नियुक्त पेंशन एजेंटों को अपनी योजनाएं प्रदर्शित कर सकता है।

नेविगेशन और प्रदर्शन हेतु दृष्टांत:

- एक अभिदाता "संतुलित विकास - मध्यम जोखिम" का चयन करता है। स्क्रीन पर निर्धारित जानकारी के साथ उस श्रेणी के अंतर्गत सभी पेंशन निधियों द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं को प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि अभिदाता योजना की तुलना और चयन कर सके।

- **पीओपी का स्वयं का प्लेटफॉर्म:** पीओपी एक पेंशन निधि की योजनाओं को शीर्ष पर रख सकता है और किसी विशेष योजना का पूर्व-चयन कर सकता है, लेकिन उसे अभिदाता-चयनित श्रेणी के अंतर्गत सभी पेंशन निधि की योजनाओं को प्रदर्शित करना जारी रखना होगा।

- **पेंशन निधि की अपनी वेबसाइट/ऐप:** जहां अभिदाता विशेष रूप से पेंशन निधि की अपनी वेबसाइट या एप्लिकेशन का चयन करता है और पेंशन निधि शामिल होने की प्रक्रिया को संचालित करता है, तो प्लेटफॉर्म पर केवल उस पेंशन निधि की योजनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है।

अभिदाता-फेसिंग नेविगेशन सर्वप्रथम अभिदाता की योजना प्रकार/श्रेणी या जोखिम उठाने की क्षमता की रूचि को शामिल करेगा, जैसा भी लागू हो, और फिर उस चयन के अनुरूप योजनाओं को प्रदर्शित करेगा। जहां स्क्रीन पर पहले से ही अभिदाता द्वारा चुनी गई श्रेणी को दर्शाया जाता है वहां उस श्रेणी को अलग योजना-नाम के रूप में दोहराए जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. सभी मध्यवर्तियों द्वारा 28 अगस्त 2026 के उपर्युक्त उल्लिखित परिपत्र के प्रावधानों को **1 दिसंबर 2026** तक कार्यान्वित किया जाएगा। सीआरए, पेंशन निधि और पीओपी, इस समय सीमा के भीतर, योजना के नाम, ब्रोशर, एनपीएस योजना के आवश्यक दस्तावेज, मीडिया और विज्ञापन सामग्री, वेबसाइटों, आवेदनों और अभिदाता शामिल होने की प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन करेंगे।

यह परिपत्र पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 14(1) के साथ पठित धारा 14(2)(क) और पीएफआरडीए (पेंशन निधि) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों जिसमें विनियमन 22(1) शामिल है, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है।

भवदीय,

(मुख्य महाप्रबंधक)